(1D)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1327–दो/2013, विरूद्ध आदेश दिनांक 23–04–2012 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार जतारा, जिला–टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 05/आर/2011–12

.....

1– शेख अब्दुल तनय बहीद खॉ
2– कयूब तनय बहीद खॉ
दोनों निवासी–जतारा तह0 जतारा
जिला–टीकमगढ़ (म0प्र0) ..... आवेदकगण

विरूद्ध

सिन्धुपाल तनय गंगाराम जैन
ग्राम शकरपारा, जतारा तह0 जतारा
जिला–टीकमगढ़ (म0प्र0) ..... अनावेदक

.....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजेन्द्र पटेरिया, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/4/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार जतारा, जिला–टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–04–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि, अनावेदक सिन्धुपाल जैन पुत्र गंगाराम ने ग्राम लिधौराताल की भूमि सर्वे क्र0 1208 व 1210 रकबा क्रमशः 0.384 एवं 0.32 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु न्यायालय तहसीलदार जतारा, टीकमगढ़ के समक्ष दिनांक 17.06.2010 को आवेदन प्रस्तुत किया । तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन

की विधिवत कार्यवाही दिनांक 27.03.2011 को की जाकर रिपोर्ट पंचनामा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया । उसी समय आवेदकगण द्वारा सर्वे क्र0 1210/0.32 हैक्टेयर पर आपत्ति पेश कर बताया सर्वे क्रमांक 1210 का सम्पूर्ण रकबा उसके द्वारा उसके नाबालिग बच्चों के नाम से क्रय की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण से मूल दस्तावेज मंगवाया गया, जिसके अनुसार सर्वे क्र0 1210 रकबा 0.142 है0 एवं सर्वे क्र0 1211 रकबा 0.134 है0 कुल किता 2 रकबा 0.276 में से रकबा 1/2 0.138 उसके द्वारा दिनांक 09.02.1998 में क्रय की गई है जो कि सही है, उसका विधिवत नामांतरण भी हो गया है । अनावेदक से भी मूल विक्रय पत्र मंगवाये गये, अनावेदक ने दिनांक 29.02.2000 को पेश किया जिसके अनुसार 1208 रकबा 0.102 हैक्टेयर एवं 1210/1246 रकबा 0.032 हैक्टेयर कुल 134 हैक्टेयर की भूमि क्रय की है। उसका भी विधिवत नामांतरण पटवारी रिकार्ड में हो गया है । इसी आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2012 को आदेश पारित कर आवेदकगण की आपत्ति यह कहते हुये खारिज की गई कि सर्वे क्र0 1210/1246 रकबा 0.032 हैक्टेयर बन्दोबस्ती उड़ान नम्बर है न कि सर्वे क्र0 1210 का हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जतारा के उक्त आदेश दिनांक 23.04.2012 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये, जिसमें मुख्य रूप से यह बताया है कि, विवादित भूमि खसरा नं0 1210 व 1211 रकबा क्रमशः 0.142 व 0.134 कुल रकबा 0.276 हैक्टयर भूमि आवेदकगण के भूमि स्वामित्व की भूमि है जिसका बंटवारा विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा विधिवत रूप से किया गया था, तभी से आवेदक काबिज चला आ रहा है ।

वर्ष 2001–02 की बी (1), खसरा खतौनी की छायाप्रति संलग्न हैं । जिसमें आवेदकगण का बंटवारा मान्य किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की भूमि 1210 के सीमांकन की कार्यवाही बिना आवेदक की समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना सीमांकन में करने का जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है । आवेदकगण द्वारा विधिवत रूप से खसरा नं0 1210 का 0.142 है0 भूमि क्रय कर दिनांक 04.01.2001 को न्यायालय तहसीलदार जतारा से विधिवत फर्द बंटवारा का